न्यायलय जिला न्यायधीश भदोही।

उपस्थित – बिजेन्द्र कुमार शैलत

एच.जे.एस.

सिविल निगरानी सं०– 27 सन् 2022

CNR N0.UPSN01–0002317–2022

1. हीरावती देवी उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र राममूरत
2. धीरेन्द्र कुमार उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र राममूरत
3. विवेक कुमार उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र स्व 0 राममूरत निवासीगण वीरमपुर तालुका कोढ़ तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही

.....निगरानीकर्तागण।

बनाम

1. हीरालाल उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व 0 रामसरन निवासी वीरमपुर तालुका कोढ तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही
2. सुमारिया उम्र लगभग 50 वर्ष पत्नी खुनखून निवासी औरंगाबाद तालुका असनॉव तहसील औराई जिला भदोही
3. बृजलाल उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र पेसरान स्व० रामअभिलाख
4. जोखनलाल उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र पेसरान स्व० रामअभिलाख
5. गंगादेवी उम्र लगभग 75 वर्ष पत्नी स्व 0 रामअभिलाख निवासीगण वीरमपुर तालुका कोढ़ तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही
6. बजरंगी उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र रामदुलार
7. विजयशंकर उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र रामदुलार
8. -गेना देवी उम्र लगभग 70 वर्ष पत्नी रामदुलार निवासीगण वीरमपुर तालुका कोढ़ तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही
9. सरोजा देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी राजकुमार
10. पोटरा देवी उम्र लगभग 37 वर्ष पत्नी सन्तोष कुमार पुत्री रामदुलार निवासीगण प्रतापपुर तहसील हण्डिया जिला प्रयागराज
11. फोटो देवी उम्र लगभग 35 वर्ष पत्नी घनश्याम पुत्र रामदुलार निवासी सैदाबाद तहसील हण्डिया जिला प्रयागराज
12. प्रेमादेवी उम्र लगभग 33 वर्ष पत्नी उमेश पुत्री रामदुलार निवासी मुंगरा तहसील हण्डिया जिला प्रयागराज
13. रामसूरत उम्र लगभग 68 वर्ष पुत्र आशाराम निवासी वीरमपुर तालुका कोढ़ तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही

.....रेस्पोन्डेन्ट/ विपक्षीगण।

<u>नि र्ण य</u>

यह सिविल निगरानी न्यायालय सिविल जज जू०डि० भदोही स्थान ज्ञानपुर द्वारा मु० न० 62 दीवानी सन् 1990 ई० रामसरन बनाम रामअभिलाख आदि में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तृतीय पक्ष/ निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 328 ग बावत बनाए जाने

पक्षकार हेतु निरस्त किया है।

2. सक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 328 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आराजी नं० 103 व 96 मौजा वीरमपुर तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही में प्रार्थीगण का हित निहित है। वादी ने सत्यता को छुपाते हुए ये वाद दाखिल किया है । अतः तृतीय पक्ष द्वारा पक्षकार मुकदमा बनाए जाने की याचना की गयी है।

3. वादी द्वारा अपनी आपत्ति 333 ग प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी नं० 96 ऊसर खाते में दर्ज है। जिसमें तृतीय पक्ष का कोई वास्ता सरोकार नहीं है तथा आराजी नं० 103 में कृषि में कृषि का आबंटन वादी के पिता के हक में हुआ है। तृतीय पक्ष विवादित भूमि में हस्तक्षेप करना चाहते है। अतः प्रार्थनापत्र 328 ग निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पक्षकार अधिवक्ताओं को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात तृतीय पक्ष को पक्षकार मुकदमा बनाए जाने का कोई विधिक औचित्य न पाते हुए तृतीय पक्ष का प्रार्थनापत्र 328 ग निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह सिविल निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

5. निगरानीकर्ता द्वारा अपने आधार निगरानी में यह कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.09.2022 तथ्य एवं विधि के विरूद्ध है। निगरानीकर्ता निस्वत जायदाद निजाई में हित निहित है और प्रार्थी निगरानीकर्तागण का कब्जा दखल निरवत जायदाद निजाई में अर्सा काफी पूर्व से बिला किसी रोक टोक के चला आ रहा है। वादी रामसरन आदि द्वारा एक किता मुकदमा बावत हुकुम इतनाई दवामी का बाद आराजी नम्बर 103 रकबा 1 वीघा 14 विस्वा 5 धूर व आराजी नम्बर 96 रकबा 3 वीघा 15 विस्वा 15 धूर वाका मौजा वीरमपुर तालुका कोढ़ तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही के जुज अंश पर श्रीमान् जी के न्यायालय में झूठे कथनों के आधार पर दाखिल करके एकपक्षीय रूप से आदेश हासिल करना चाहता है। प्रार्थीगण के पूर्वज मातासरन पुत्र वारीनन्दन थे और मातासरन वारीनन्दन का नाम खतौनी 1398 लगायत 1403 के खाता संख्या 455 की आराजी नम्बर 103 पर अंकित है तथा खतौनी 1392 लगायत 1397 पर मातासरन पुत्र वारीनन्दन का नाम अंकित है तथा आकारपत्र 45 की खाता संख्या 450 की आराजी संख्ख्या 103 पर मातासरन पुत्र वारीनन्दन का नाम अंकित है। उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 328 ग बावत बनाए जाने पक्षकार मुकदमा तृतीय पक्ष स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

6. निगरानीकर्ता की ओर से सूची 7 ग से आधार निगरानी के समर्थन में प्रपत्र 8 ग/1 से 11 ग/19 दाखिल किये गये हैं।

7. मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांकित 12.09.2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का भी अवलोकन किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांकित 12.09.2022 के अवलोकन

से विदित है कि निगरानीकर्तागण/तृतीय पक्षकार की ओर से विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उक्त वाद सन 1990 वादी रामसरन द्वारा प्रतिवादीगण रामअभिलाख आदि के विरूद्ध विवादित भूमि गाटा सं० 96, 103 के बावत स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया था। उक्त के बावत तृतीय पक्ष द्वारा ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजियात के बावत उनका हित निहित है। तद्नुरूप तृतीय पक्ष को पक्षकार बनाए जाने का कोई औचित्य न पाते हुए प्रार्थनापत्र 328 ग निरस्त कर दिया, प्रश्नगत आदेश के संबंध में निगरानीकर्ता की ओर से अपनी निगरानी में जो आधार लिए गए हैं, उन पर बल देने के लिए निगरानीकर्तागण की ओर से मात्र यह कहा गया है कि उन्हें अब निगरानी पर कोई बल नहीं देना है और रिविजन वापस/खारिज किया जाए। इसी आशय के प्रार्थनापत्र हीरावती देवी पत्नी स्व० राममूरत एवं धीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० राममूरत की ओर से कागज सं० 22 ग मय शपथपत्र 23, विवेक कुमार पुत्र स्व० राममूरत की ओर से कागज सं० 25 ग मय शपथ पत्र 26 ग दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.09.2022 के अवलोकन से विदित है कि जिन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्तागण/तृतीय पक्षकार के प्रार्थनापत्र 328 ग को खारिज किया है वे सही है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.09.2022 विधि के अनुकूल है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में अवैधानिकता नहीं है। निगरानीकर्ता की ओर से यह भी अवगत कराया गया कि मूलवाद सं० 62/1999 निर्णीत हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी भी प्रभावहीन हो चुकी है। निगरानीकर्ता की निगरानी में कोई बल नहीं है। चूंकि निगरानीकर्तागण की ओर से ऐसा कोई तथ्य भी सामने नहीं लाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया हो। तद्नुसार खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्तानुसार यह सिविल निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान् परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 12.09.2022 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की प्रति विद्वान परीक्षण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

दिनांक-06.04.2023

(बिजेन्द्र कुमार शैलत)
जिला न्यायाधीश
भदोही।

निर्णय आज खुले न्यायालय में तिथि सहित हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

दिनांक-06.04.2023

(बिजेन्द्र कुमार शैलत)
जिला न्यायाधीश
भदोही।

Digitally signed by Bijendra Kumar Shailat
Date: 2023.04.07 15:48:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court